



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245652
CG-DL-E-04052023-245652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1951]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1951]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2039(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 111 (अ) तारीख 09 जनवरी 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161 (New) के कि.मी. 40.100 से कि.मी. 97.700 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 जनवरी 2023" को "दा हितबदा" और "लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त fjiKsVZ प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161 (New) के कि.मी. 40.100 से कि.मी. 97.700 (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वाशिम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मालेगाव				
	गांव का नाम: अमानी				
1	135	निजी	एग्रीकल्चर	0.12	रमेश ज्ञानवा गवाली (135)
	तालुक का नाम: वाशिम				
	गांव का नाम: घोडबाभूलगांव				
1	13(2B)	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	परमेश्वर गजानन वानखेडे (13/2/बी)
	गांव का नाम: जांहरूण परांडे				
2	145	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	नंदकिशोर लक्ष्मी नारायण परती (145)
3	198	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	रमेश लक्ष्मण मोहले (198)
	गांव का नाम: पंचाला				
4	228	निजी	एग्रीकल्चर	0.1	नामदेव सोनाजी जाधव ()
5	229/66A	निजी	एग्रीकल्चर	0.0074	एम्. निसार एम्. उसमान ()

6	229/66B	निजी	एग्रिकल्चर	0.0055	ए.रहीम ए. रशीद (229/66बी)
			कुल	0.2729	

[फा. सं. : NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2039(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 111 (E) Dated 09, January 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH161 (New) (including Bypasses) in the stretch of land from Km 40.100 to Km 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Hitavada**” and “**Lokmat**” both dated **19 January 2023**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from from Km. 40.100 to Km. 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) of the NH161 (New) in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: WASHIM		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Malegaon				
	Village: Amani				
1	135	Private	Agriculture	0.12	Ramesh Gyanva Gawali 135
	Taluk: Washim				
	Village: Ghodbabhulgaon				
1	13(2B)	Private	Agriculture	0.02	Parmeshwar Gajanan Wankhede 13/2/B

	Village: Jambhrun Parande				
2	145	Private	Agriculture	0.01	Nandkishor Laxami Narayan Parati 145
3	198	Private	Agriculture	0.01	Ramesh Laxman Mohale 198
	Village: Panchala				
4	228	Private	Agriculture	0.1	Namdev Sonaji Jadhav 228
5	229/66A	Private	Agriculture	0.0074	M. Nisar M. Usman
6	229/66B	Private	Agriculture	0.0055	A.Rahim A. Rashid 229/66B
			TOTAL	0.2729	

[F. No. : NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.